कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 243/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 24.06.2026

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

☐ **शादी का झांसा देकर युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

☐ **"मिशन शक्ति 5.0" के तहत सिधारी पुलिस की कार्रवाई, अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 18.06.2026 को थाना सिधारी क्षेत्र के निवासी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि समीर कुरैशी पुत्र शकील कुरैशी निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा उनकी पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 248/2026 धारा 87/61(2) बीएनएस बनाम 1. समीर कुरैशी पुत्र शकील कुरैशी, 2. गोविन्द कनौजिया पुत्र संजय कनौजिया एवं 3. विशाल जायसवाल पुत्र अनिल जायसवाल निवासीगण शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना सिधारी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **समीर कुरैशी पुत्र शकील कुरैशी निवासी ग्राम शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 248/2026, धारा 87/61(2) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

समीर कुरैशी पुत्र शकील कुरैशी निवासी ग्राम शाहगढ़, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 मनीष मिश्र, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
2. का0 नीरज यादव, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

☐ नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐ पॉक्सो एक्ट एवं बीएनएस के अभियोग में फरार चल रहे अभियुक्त को जीयनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का विवरण

दिनांक 24.01.2026 को थाना जीयनपुर क्षेत्र की एक महिला द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री दिनांक 19.01.2026 को घर से बाहर गई थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के उपरांत भी उसका पता नहीं चल सका। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0141/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 24.06.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के निर्देशन में उ0नि0 अमित कुमार तिवारी मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त **राजशाह गणेश गौड़ पुत्र गणेश गौड़ निवासी रेवती तिवारी टोला वार्ड नं0 14 थाना रेवती जनपद बलिया, हाल पता- चिंचोटी पाटील पाड़ा, पोस्ट कामन वसईपुर, थाना नायगांव, जनपद ठाणे (महाराष्ट्र), उम्र लगभग 24 वर्ष** को कस्बा जीयनपुर रोडवेज के पास से समय करीब 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 042/2026, धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

राजशाह गणेश गौड़ पुत्र गणेश गौड़ निवासी रेवती तिवारी टोला वार्ड नं0 14 थाना रेवती जनपद बलिया, हाल पता- चिंचोटी पाटील पाड़ा, पोस्ट कामन वसईपुर, थाना नायगांव, जनपद ठाणे (महाराष्ट्र), उम्र लगभग 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 042/2026, धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अमित कुमार तिवारी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अर्जुन पटेल, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

☐ मुबारकपुर पुलिस को बड़ी सफलता, अवैध .32 बोर पिस्टल के साथ शातिर युवक गिरफ्तार

☐ मोहर्रम पर्व एवं रात्रि गशत के दौरान पुलिस की सतर्कता से अवैध असलहा तस्करी का प्रयास विफल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अवैध असलहों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को अवैध .32 बोर पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 24.06.2026 को चौकी प्रभारी लोहरा उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, वाहन चेकिंग एवं आगामी मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत निगरानी ड्यूटी में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम लोहरा से सठियांव की ओर अवैध पिस्टल लेकर जा रहा है तथा उसे बेचने की फिराक में है।

सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। ग्राम लोहरा से मऊ-आजमगढ़ मार्ग की ओर आते एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम **अजय यादव पुत्र ललई यादव निवासी नीबी बुजुर्ग, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष** बताया।

जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध .32 बोर पिस्टल बरामद हुई। बरामद शस्त्र के संबंध में लाइसेंस मांगे जाने पर अभियुक्त कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। बरामद पिस्टल को मौके पर नियमानुसार सील कर कब्जे पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 01:02 बजे ग्राम लोहरा-मऊ आजमगढ़ मार्ग से गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरुद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 231/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

बरामदगी

☐ एक अदद अवैध पिस्टल .32 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त

अजय यादव पुत्र ललई यादव निवासी- नीबी बुजुर्ग, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 231/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 कुलदीप कुमार, चौकी प्रभारी लोहरा, थाना मुबारकपुर।
2. रि0का0 कृष्ण कुमार मिश्रा, थाना मुबारकपुर।

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों की तस्करी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान निरंतर जारी है।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

☐ नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐ पॉक्सो एक्ट एवं बीएनएस के अभियोग में नामजद अभियुक्त को रौनापार पुलिस ने दबोचा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का विवरण

दिनांक 23.06.2026 को थाना रौनापार क्षेत्र की निवासी एक महिला द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि दिनांक 21.06.2026 को एक लड़का राकेश सोनकर द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर **मु0अ0सं0 164/2026, धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट** बनाम राकेश सोनकर पुत्र कैलाश निवासी कॉंखभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आदेशानुपालन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.06.2026 को थाना रौनापार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **राकेश सोनकर पुत्र कैलाश निवासी कॉंखभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 18 वर्ष** को पाण्डेयपुर नगर पुलिया के पास से समय करीब 05:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 164/2026, धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

राकेश सोनकर पुत्र कैलाश निवासी- कॉंखभार, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 18 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अवधेश यादव, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 शिवम विश्वकर्मा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
4. रि0म0का0 मांसी सिंह, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य करते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है।

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

☐ पॉक्सो एक्ट के गंभीर प्रकरण में बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

☐ नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोप से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई, बाल अपचारी को बाल न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

घटना का विवरण

दिनांक 23.06.2026 को एक महिला द्वारा थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि दिनांक 20.06.2026 को उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक बाल अपचारी द्वारा अनुचित कृत्य किया गया तथा घटना की जानकारी देने पर धमकी एवं अभद्र व्यवहार किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर **मु0अ0सं0 133/2026, धारा 65(2)/352 बीएनएस एवं धारा 9(M)/10 पॉक्सो एक्ट** अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना व0उ0नि0 सविन्द्र राय द्वारा की जा रही है।

पुलिस कार्रवाई

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन एवं अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 24.06.2026 को व0उ0नि0 सविन्द्र राय मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर महुआ मुरारपुर बाजार क्षेत्र में घेराबंदी कर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बाल अपचारी एवं उसके परिजनों को आवश्यक विधिक जानकारी देने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उसे बाल न्याय प्रणाली के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु बाल सुधार गृह, मऊ भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 133/2026, धारा 65(2)/352 बीएनएस एवं धारा 9(M)/10 पॉक्सो एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ पुलिस महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है तथा ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है।

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

☐ "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत सोशल मीडिया पर सक्रिय "टीम 5062" गैंग चिन्हित

☐ इंस्टाग्राम पर गैंग संस्कृति एवं दबंगई का प्रदर्शन करने वाले युवक पर पुलिस की कार्रवाई, अभिभावकों की मौजूदगी में की गई काउंसलिंग

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित "ऑपरेशन वज्रपात" अभियान के क्रम में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति एवं दबंगई के प्रदर्शन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एवं फेसबुक की निगरानी के क्रम में संज्ञान में आया कि कुछ युवक **"टीम 5062"** नाम से गैंग बनाकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वीडियो एवं रील पोस्ट कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है तथा युवाओं में गैंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। जांच के दौरान **उपेन्द्र कुमार पुत्र सुभाष निवासी ग्राम बस्तीकपूरी, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़** को चिन्हित किया गया, जो सोशल मीडिया आईडी **"Upendra_jatav_azamgarh_5062"** के माध्यम से गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सामग्री प्रसारित कर रहा था।

थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा संबंधित युवक को उसके अभिभावकों सहित थाना परिसर बुलाकर काउंसलिंग की गई तथा कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।

उक्त कार्यवाही के दौरान संबंधित युवक के विरुद्ध **धारा 170/126/135 बीएनएसएस** के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी की गई।

पुलिस द्वारा अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें शिक्षा, खेलकूद, कौशल विकास एवं अन्य सकारात्मक गतिविधियों में सहभागिता हेतु प्रेरित करें।

पुलिस टीम

1. उ0नि0 पंकज कुमार सिंह
2. आरक्षी सतेन्द्र गुप्ता
3. रि0का0 नवाब अंसारी

जनपद पुलिस द्वारा "ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत गैंग संस्कृति, सोशल मीडिया पर दबंगई के प्रदर्शन, भय एवं दहशत फैलाने वाली गतिविधियों तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

☐ "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत सोशल मीडिया पर भौकाल एवं दबंगई का प्रदर्शन करने वाले युवक पर पुलिस की कार्रवाई

☐ इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक एवं भय उत्पन्न करने वाली पोस्ट प्रसारित करने पर युवक गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित "ऑपरेशन वज्रपात" अभियान के क्रम में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति, दबंगई एवं भौकाल प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान थाना बरदह पुलिस द्वारा सोशल मीडिया की निगरानी के क्रम में संज्ञान में आया कि **फजरे आलम पुत्र कमालुद्दीन निवासी ग्राम मैनपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़** द्वारा इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो के साथ भौकाल एवं दबंगई प्रदर्शित करने वाली पोस्ट प्रसारित की जा रही हैं। उक्त पोस्टों से आमजन में भय एवं अशांति की भावना उत्पन्न होने तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना पाई गई।

मामले को गंभीरता से लेते हुए उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह पुलिस टीम द्वारा जांच की गई। जांचोपरांत संबंधित युवक को चिन्हित कर दिनांक 24.06.2026 को समय लगभग 15:50 बजे थाना बरदह क्षेत्र से हिरासत में लिया गया।

उक्त युवक के विरुद्ध शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से **धारा 170/126/135 बीएनएसएस** के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गई तथा उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

संबंधित व्यक्ति

फजरे आलम पुत्र कमालुद्दीन निवासी – ग्राम मैनपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम

1. उ0नि0 उमाशंकर सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. आ0 त्रिलोकनाथ पाण्डेय, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

☐ **जनपद पुलिस की अपील:**

सोशल मीडिया पर भौकाल, गैंग संस्कृति, हथियारों का प्रदर्शन अथवा भय एवं दहशत फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करना कानूनन दंडनीय है। अभिभावक अपने बच्चों एवं युवाओं की सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखें तथा उन्हें सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करें।

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा "ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत गैंग संस्कृति, सोशल मीडिया पर दबंगई के प्रदर्शन एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को दिलाई गई ₹23,264 की धनराशि वापस

अश्लील वीडियो देखने के नाम पर FIR की धमकी देकर की गई साइबर ठगी, सिधारी पुलिस की तत्परता से पीड़ित को मिली राहत

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस एवं साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति की ₹23,264/- की धनराशि वापस कराई गई।

घटना का विवरण-

आवेदक राम आशीष प्रजापति पुत्र मोतीलाल प्रजापति निवासी शाहबाजपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने उन्हें अश्लील वीडियो देखने के नाम पर FIR दर्ज कराने की धमकी देकर भयभीत किया तथा विभिन्न माध्यमों से धनराशि अपने खातों में स्थानांतरित करा ली।

पीड़ित द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी शिकायत संख्या 23105250075846 है।

शिकायत प्राप्त होते ही थाना सिधारी साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई की गई। लगातार समन्वय एवं आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत पीड़ित की ₹23,264/- की धनराशि वापस कराकर उसके बैंक खाते में उपलब्ध कराई गई।

धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा जनपद पुलिस एवं साइबर टीम का आभार व्यक्त किया गया।

साइबर ठगी का तरीका-

साइबर अपराधी अक्सर लोगों को डराने, धमकाने अथवा लालच देने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जैसे—

☐ अश्लील वीडियो देखने या वीडियो कॉल के नाम पर ब्लैकमेल करना।

☐ पुलिस, सीबीआई, ईडी, कोर्ट अथवा अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर डराना।

☐ फर्जी डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) का भय दिखाना।

☐ केवाईसी अपडेट, बैंक खाता बंद होने या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने का झांसा देना।

☐ नौकरी, लॉटरी, निवेश एवं ऑनलाइन ट्रेडिंग में अधिक लाभ का प्रलोभन देना।

☐ फर्जी लिंक भेजकर बैंकिंग एवं व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना।

☐ सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर धन की मांग करना।

साइबर अपराध से बचाव के उपाय-

☐ किसी भी अज्ञात व्यक्ति को OTP, CVV, UPI PIN, बैंक विवरण अथवा व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
☐ किसी भी धमकी भरे फोन कॉल, वीडियो कॉल या संदेश से घबराएं नहीं।
☐ अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।
☐ सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक न करें।
☐ किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले पूरी तरह सत्यापन अवश्य करें।
☐ डिजिटल अरेस्ट, अश्लील वीडियो अथवा पुलिस कार्रवाई के नाम पर धन मांगने वालों से सतर्क रहें।
☐ साइबर ठगी होने पर तत्काल कार्रवाई करें।

जनहित में अपील-
यदि आपके साथ किसी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा साइबर हेल्प डेस्क से तुरंत संपर्क करें। समय पर की गई शिकायत से धनराशि वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

पुलिस टीम-
म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
का0 महेश कुमार, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
का0 पवन गुप्ता, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
का0 सोनू कुमार, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध सतत अभियान चलाकर नागरिकों की सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध है।

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, संगठित चोरी एवं नकबजनी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा
आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अभियुक्तों को देवगांव पुलिस ने दबोचा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगांव पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गैंगेस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई है।

घटना का विवरण-
दिनांक 24.06.2026 को प्रभारी निरीक्षक देवगांव श्री विमल प्रकाश राय की तहरीर के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तों— 01. अमित मौर्या पुत्र स्व० चहेडू मौर्या उर्फ सुनील निवासी गडौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 02. आकाश तिवारी पुत्र हरिवंश तिवारी निवासी गडौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 03. शिवम तिवारी पुत्र भूपनाथ तिवारी निवासी तारा उमरी थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से चोरी एवं नकबजनी जैसे अपराध कारित किए जाते हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ से अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिसके उपरांत थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 240/2026 धारा 2(ख)1, 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 24.06.2026 को व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह यादव मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त— 01. अमित मौर्या पुत्र स्व० चहेडू मौर्या उर्फ सुनील निवासी गडौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 02. आकाश तिवारी पुत्र हरिवंश तिवारी निवासी गडौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को कचहरी के पीछे रोडवेज के पास से समय करीब 10:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 240/2026 धारा 2(ख)1, 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. अमित मौर्या पुत्र स्व० चहेडू मौर्या उर्फ सुनील निवासी गडौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
02. आकाश तिवारी पुत्र हरिवंश तिवारी निवासी गडौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-
अमित मौर्या पुत्र स्व० चहेडू मौर्या उर्फ सुनील-
01. मु0अ0सं0 240/2024, धारा 380/411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0 250/2024, धारा 379/411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
03. मु0अ0सं0 252/2024, धारा 379/411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
04. मु0अ0सं0 300/2024, धारा 305/317(2)/331(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
05. मु0अ0सं0 240/2026, धारा 2(ख)1, 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

आकाश तिवारी पुत्र हरिवंश तिवारी-
01. मु0अ0सं0 240/2024, धारा 380/411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0 250/2024, धारा 379/411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
03. मु0अ0सं0 252/2024, धारा 379/411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
04. मु0अ0सं0 300/2024, धारा 305/317(2)/331(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
05. मु0अ0सं0 240/2026, धारा 2(ख)1, 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह यादव, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
का0 विनोद भारती, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
रि0का0 नितीश राजभर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
रि0का0 प्रिंस मद्धेशिया, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
रि0का0 अंकित कुमार यादव, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
"ऑपरेशन वज्रपात" के तहत सोशल मीडिया पर सक्रिय गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले युवक पर पुलिस की कार्यवाही
इंस्टाग्राम/फेसबुक पर गैंग बनाकर दबंगई का प्रदर्शन करने वाले युवक की काउंसलिंग, बीएनएसएस के तहत की गई विधिक कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित "ऑपरेशन वज्रपात" अभियान के क्रम में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति, दबंगई के प्रदर्शन तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान थाना सरायमीर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एवं फेसबुक की सतत निगरानी की जा रही थी। इसी क्रम में संज्ञान में आया कि कुछ युवक सोशल मीडिया पर "ravi_official_0999" नाम से गैंग संचालित कर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वीडियो एवं रील पोस्ट कर रहे हैं तथा गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

पुलिस द्वारा की गई जांच में उक्त सोशल मीडिया अकाउंट का संचालन करने वाले युवक की पहचान रवि कुमार पुत्र रामलाल निवासी मोहिद्दीनपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। युवक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति एवं दबंगई का प्रदर्शन करते हुए सामग्री प्रसारित की जा रही थी।

थाना सरायमीर पुलिस द्वारा संबंधित युवक को उसके अभिभावकों सहित थाना परिसर बुलाकर काउंसलिंग की गई। इस दौरान उसे कानून-व्यवस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व, यातायात नियमों तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी गई।

उक्त प्रकरण में संबंधित युवक के विरुद्ध धारा 170/135/126 बीएनएसएस के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की गई।

□ जनपद पुलिस की अपील-
अभिभावक अपने बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें शिक्षा, खेलकूद, कौशल विकास एवं अन्य सकारात्मक गतिविधियों में सहभागिता हेतु प्रेरित करें। सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, हथियारों का प्रदर्शन, दहशत फैलाने वाले वीडियो अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस टीम-
उ0नि0 पंकज यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
का0 विकास यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

➡□ "ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत जनपद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई के प्रदर्शन एवं युवाओं को भ्रमित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
"ऑपरेशन वज्रपात" के तहत सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन एवं गैंग संस्कृति के महिमामंडन पर पुलिस की सख्त नजर
AI तकनीक से फोटो एडिट कर हाथ में पिस्टल प्रदर्शित करते हुए वीडियो वायरल करने वाले किशोर की काउंसलिंग, अभिभावकों को भी किया गया जागरूक

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित "ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति, हथियारों के प्रदर्शन तथा भय का वातावरण उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान साइबर निगरानी के क्रम में संज्ञान में आया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो प्रसारित किया गया है, जिसमें AI तकनीक का उपयोग कर फोटो एडिट करते हुए एक किशोर को हाथ में पिस्टल प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार की पोस्ट एवं वीडियो आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के साथ-साथ युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित कर सकती हैं।

मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान संबंधित किशोर की पहचान कर उसे उसके अभिभावकों की उपस्थिति में थाना परिसर बुलाया गया, जहां उसकी विस्तृत काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान उसे कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से होने वाले कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

पुलिस द्वारा अभिभावकों को भी जागरूक करते हुए अपील की गई कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का सम्मान करने, सकारात्मक कार्यों में सहभागिता बढ़ाने एवं सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

□ जनपद पुलिस की अपील
सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन, गैंग संस्कृति का प्रचार-प्रसार, भय या दहशत उत्पन्न करने वाले पोस्ट/वीडियो साझा करना अथवा AI तकनीक का दुरुपयोग कर भ्रामक सामग्री प्रसारित करना कानूनन दंडनीय हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

"ऑपरेशन वज्रपात" के तहत जनपद पुलिस सोशल मीडिया की सतत निगरानी कर रही है तथा समाज में भय, अराजकता एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
साइबर टीम-
उ0नि0 विपिन द्विवेदी
कां0 मो0 शोएब